

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

10/10/14  
पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी  
परिष्कृत होने से  
/ अतः पत्रावली  
दिनांक 14.11.14 को पेश हो।  
2  
पात्रा के

14.11.14  
पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी  
परिष्कृत होने से  
/ अतः पत्रावली  
दिनांक 19.12.14 को पेश हो।  
2  
पात्रा के

19/12/14 पत्रावली उपर्युक्त / वकील उमयपदी उपस्थित  
वादी की साक्ष्य में जवाब दायीर नहीं पत्रावली  
वास्ते साक्ष्य वादी के दिनांक 13.2.15 को पेश हो।

13/1/15 पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी  
राजस्व कार्य में व्यत्यय होने से  
/ अतः पत्रावली  
दिनांक 12/3/15 को पेश हो।  
2  
पात्रा के

13/3/15  
पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
राजस्व कार्य में व्यत्यय होने से अवकाश/  
राजस्व कार्य बंद अग्रण पर है।  
फोटोकोप उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 10/4/15 को  
पेश हो।

10/4/15  
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन  
अधिकारी अनसुनवाई में होने से  
प्रकरण दि. 5/5/15 को पेश हो। 2

5.15 पत्रावली आज राजस्व स्रोत महालय / उमय  
कोर्ट आदेशानुसार जवाब दायीर नहीं है।  
वादी एवं फालीवाही राय उपाह्वित नहीं होने  
से एडवोकेट उमय कोर्ट में लिखा जाय  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। भागा  
दली

**डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्ड जिला उदयपुर**

अधिकारी श्री सत्यनारायण आचार्य (R.A.S.) कोटडा  
12/12 सन् सीगह

ज्जा पिता चेली जरासीया बनाम श्री मोहन पिता हीरा जीगरासीया  
निवासी बलीम नि बलीम  
वगेरह

दावा बाबत 188 RT Act.

मुद्दा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।  
ने ओर से वकील श्री स्वयं वादी स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील  
की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

श्री मोहन का  
खार की मेरूर तहसील कोटडा की जमाबन्दी संवत् 2067  
2070 के खाता संख्या 56 में वर्णित आराजियात किया।  
रकबा 7 बीघा 8 अंश में वादी के कानिपूरी कच्चे काश्त  
दखलदारी नही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्पष्ट  
निर्देश से पाबन्द किया जाता है। वही प्रकार प्रतिवादी  
का 7 के खाते की भा.नं 158/ रकबा 5 बीघा  
में प्रतिवादी संख्या 7 के कच्चे काश्त में दखलदारी  
नही करने बाबत वादी को स्पष्ट निर्देश से पाबन्द किया  
जाता है।

स वाद के खर्चे लेखे — रुपये की राशि — आज की तारीख  
की तारीख तक उस पर — प्रतिशत की दर से ब्याज सहित —

को दी जाये।  
यह आज तारीख 13 मार 06 सन् 2015 को  
हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(सत्यनारायण आचार्य)  
हस्ताक्षर न्यायाधीश  
उपखण्ड अधिकारी  
पद उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
कोटडा (उदयपुर)

**वाद के खर्चे**

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
पत्र के लिये स्टाम्प वकालात नामा के लिये स्टाम्प ताना वकील ) पर गवाह कमिश्नर शेत की तामील खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील ) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		

(सत्यनारायण आचार्य)  
उपखण्ड अधिकारी

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम ज  
की तामील

संख्या ५६ में पर्वत आरा जिला  
॥ इस रकबा ७ बीघा भूमि का वाली  
खासदार इतराकार है। वाली द्वारा प्रातिपदिक  
के विद्वह वाली के कुल कुशल में हलकी  
हकी नही हो उस के लिये धारा ५५  
काने का वह पेश किया है। प्रातिपदी का  
कथन है कि उनके द्वारा वालीगल के कुल  
कुशल में किसी प्रकार की व्यवस्था की  
नही सी जा रही है, जबकि वाली इस वह  
की आर में प्रातिपदिक की आरकी नं.  
१५५/१ रकबा ५ बीघा भूमि को हलकी  
न्याहल है। वाली वाहुल आरा जिला  
का खासदार इतराकार है एवं प्रातिपदी  
द्वारा उनके कुल कुशल में हलकी  
होते वह उचित प्रतीत नही होता है। प्राति  
पदी लिये में वाली का वह खासदार किया  
जाना उचित प्रतीत होता है।

आर. उपरोक्त विवेचन के आधार

पर वाली का वह खासदार किया जाता है एवं  
मौजा कलीम पहार उर मरपुर महीन  
दोहा की जमावली संवत् २०६७ से ७०  
के खास संख्या ५६ में पर्वत आरा जिला  
दिला ॥ इस रकबा ७ बीघा भूमि में वाली  
के शोषी पूर्व कुल कुशल में हलकी  
नही काने खास प्रातिपदीगत को खास  
निधे धारा से पेश किया जाता है इसी  
प्रकार प्रातिपदी संख्या ७ के खासदारी से  
आ.नं. १५५/१ रकबा ५ बीघा भूमि में प्रातिपदी  
संख्या ७ के खास कुशल में व्यवस्था नही  
काने खास वाली को खास निधे धारा  
से पेश किया जाता है। पेशवली विधि  
को संख्या से काने।

निर्णय हुआ गया।

जज अहकाम एव  
द्वारा (उदकर)